भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 336

(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

336. श्री मलैयारासन डी.:

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु और गुजरात सहित राज्यवार कुल कितनी ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया और कितने गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और गुजरात विशेषकर बनासकांठा जिले के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने बेहतर टिकाऊपन , लागत प्रभावकारिता और पर्यावरणीय वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में कोई नवाचार या नई प्रौद्योगिकियां शुरू की हैं;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने और सड़कों को जर्जर होने से रोकने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार करने या उसमें सुधार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चल रहे विभिन्न कार्यकलापों / घटकों के अंतर्गत कुल 8,34,716 कि.मी. सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है जिसमें से आज की

तिथि अनुसार, कुल 7,71,641 कि.मी सड़क लंबाई का निर्माण और उन्नयन पहले ही किया जा चुका है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़क लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा तमिलनाडु और गुजरात सहित **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के केन्द्रीय अंश और राज्यों द्वारा किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य को एक इकाई के रूप मानते हुए निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा , जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों (पीआईयू) को निधियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं जो पीआईयू की खपत क्षमता पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बनासकांठा जिले में राज्य अंश सहित उपयोग की गई निधि निम्नानुसार है-

वर्ष	राज्य अंश सहित व्यय (करोड़ रूपये में)
2021-22	15.43
2022-23	19.87
2023-24	11.45

(ग): जी हां। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई सामग्रियों/अपशिष्ट पदार्थों/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों सहित लागत प्रभावकारिता और नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय/राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने मई , 2013 में प्रौद्योगिकी पहलों पर दिशानिर्देश जारी किए थे। ग्रामीण सड़कों में नई/हरित प्रौद्योगिकी को अधिक व्यवस्थित तरीके से व्यापक रूप से अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर नवाचारों/नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआरआईडीए ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और "नई प्रौद्योगिकी पहल और दिशा-निर्देशों पर विजन दस्तावेज- 2022" लाया है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नई/हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लगभग 1,63,877 किलोमीटर सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से अब तक 1,14,789 किलोमीटर सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

(घ): पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। मंत्रालय ने कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों को 5 वर्षीय अनुरक्षण संविदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है जिसे मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार निर्माण ठेका के साथ उसी ठेकेदार को दिया जाता है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों का डिजाइन जीवन-काल 10 वर्ष का है, इसलिए राज्यों को पांच वर्ष और रखरखाव करना होता है। पीएमजीएसवाई के

अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव पर जोर देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने दोष देयता अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई-मार्ग यानी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी लागू किया है। ई-मार्ग के पांच वर्ष के बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्वास , नवीनीकरण, पूर्व-नवीकरण नियमित रखरखाव , नवीकरण के बाद रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं। ठेके को पूरा करने के लिए रख-रखाव निधियों का राज्य सरकारों द्वारा बजट में प्रावधान किया जाना अपेक्षित होता है और इसे एक अलग अनुरक्षण खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को सौंपा जाना अपेक्षित होता है। निर्माण के बाद इस 5 वर्षीय रखरखाव की समाप्ति पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्रानुसार नवीकरण सहित 5 साल के रखरखाव वाले जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक होता है।

(ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली सड़कों से संपर्क रहित पात्र 25,000 बस्तियों को नई सड़क संपर्क मुहैया कराने और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा। पीएमजीएसवाई-IV दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं।

***

अनुबंध-I

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़क लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा:

(सड़क लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत सड़क लंबाई	निर्मित सड़क लंबाई	स्वीकृत सड़क लंबाई	निर्मित सड़क लंबाई	स्वीकृत सड़क लंबाई	निर्मित सड़क लंबाई
1	अंडमान और निकोबार	0	14	0	31	0	43
2	आंध्र प्रदेश	25	1,282	0	1,051	1,158	369
3	अरुणाचल प्रदेश	0	598	0	1,183	1,743	303
4	असम	0	2,164	933	624	0	610
5	बिहार	189	1,862	4,670	1,961	268	2,251
6	छत्तीसगढ़	0	3,034	615	670	1,525	201
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	**0**	**1,009**	**0**	**824**	**2**	**619**
9	हरियाणा	590	1,384	0	414	0	344
10	हिमाचल प्रदेश	0	1,624	440	1,126	2,683	317
11	जम्मू और कश्मीर	0	3,278	1,217	464	535	956
12	झारखंड	2,115	995	3,182	1,053	171	1,431
13	कर्नाटक	0	2,560	230	1,629	0	457
14	केरल	567	67	0	133	595	261
15	मध्य प्रदेश	5,408	4,444	982	3,732	295	910
16	महाराष्ट्र	344	199	2,552	1,144	277	1,570
17	मणिपुर	0	684	0	1,340	502	59
18	मेघालय	0	826	443	481	0	399
19	मिजोरम	0	346	0	192	488	149

20	नागालैंड	0	198	0	69	507	132
21	ओडिशा	3,999	2,819	0	2,668	148	2,589
22	पुदुचेरी	0	0	0	38	0	24
23	पंजाब	28	289	0	453	1,254	956
24	राजस्थान	0	3,255	2,384	544	493	1,669
25	सिक्किम	0	141	0	282	305	94
26	तमिलनाडु	**1,254**	**2,063**	**0**	**847**	**2,869**	**985**
27	त्रिपुरा	0	172	232	123	550	112
28	उत्तर प्रदेश	12,274	3,368	0	5,011	454	6,799
29	उत्तराखंड	1,157	2,061	1,091	904	1,241	594
30	पश्चिम बंगाल	0	526	857	123	0	362
31	तेलंगाना	59	631	326	496	27	493
32	लद्दाख	0	109	418	139	0	41
	कुल	**28,009**	**42,004**	**20,573**	**29,749**	**18,088**	**26,100**

–

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई केंद्रीय निधि			राज्य अंश सहित किया गया व्यय		
		2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार	9.22	12.22	12.22	5.45	7.51	22.93
2	आंध्र प्रदेश	50.00	644.13	140.64	508.86	748.63	368.03
3	अरुणाचल प्रदेश	1090.60	1018.74	339.90	1,279.07	1,246.99	320.09
4	असम	1591.50	664.91	391.29	2,488.03	1,118.21	571.22
5	बिहार	375.00	1443.23	963.37	1,992.99	2,088.54	1,815.63
6	छत्तीसगढ़	394.41	995.87	401.77	1,902.34	1,057.35	388.09
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	**195.50**	**266.63**	**298.41**	**400.16**	**492.19**	**330.33**
9	हरियाणा	353.23	168.25	74.01	583.12	213.81	150.86
10	हिमाचल प्रदेश	517.45	624.76	617.56	933.22	626.84	371.54
11	जम्मू और कश्मीर	1328.34	717.00	1304.17	1,485.28	1,114.78	1,256.96
12	झारखंड	0.00	332.63	752.80	598.44	745.63	1,323.90
13	कर्नाटक	704.25	720.47	72.25	1,499.18	864.71	404.03
14	केरल	0.00	106.76	54.25	46.91	124.97	164.95
15	लद्दाख	140.79	109.97	37.50	109.66	107.81	30.44
16	मध्य प्रदेश	1392.25	1557.47	599.42	2,419.14	1,978.73	1,105.16
17	महाराष्ट्र	0.00	743.00	1110.80	376.73	1,074.02	1,507.37
18	मणिपुर	742.00	744.98	161.29	710.58	539.11	296.83
19	मेघालय	483.92	405.89	122.59	536.92	373.72	238.19
20	मिजोरम	74.34	584.20	141.37	332.86	315.94	381.62
21	नागालैंड	145.31	183.15	161.29	125.83	198.65	94.01
22	ओडिशा	404.12	1235.88	1262.55	1,795.5	2,088.9	1,589.8

23	पुदुचेरी	11.66	24.72	0.27	0.00	27.08	11.89
24	पंजाब	68.59	231.06	265.10	295.14	428.72	522.95
25	राजस्थान	917.51	199.90	404.79	1,452.64	372.38	633.09
26	सिक्किम	107.28	263.33	94.37	177.89	230.34	130.13
27	तमिलनाडु	440.00	613.70	411.36	1,169.56	532.36	777.78
28	तेलंगाना	86.38	321.43	296.9625	410.80	345.32	479.41
29	त्रिपुरा	73.88	267.59	185.03	202.93	152.90	112.64
30	उत्तर प्रदेश	1418.55	2068.57	2679.63	2,074.26	3,267.32	3,791.65
31	उत्तराखंड	787.00	1297.16	551.05	1,218.45	1,350.02	800.68
32	पश्चिम बंगाल	49.94	381.03	99.275	701.28	394.75	309.11
	कुल	**13952.99**	**18948.61**	**14007.29**	**27,833.22**	**24,228.27**	**20,301.27**

*****